

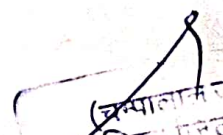
जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स महोदय कॉन्स्ट्रक्शन (प्रो. श्री ओम प्रकाश), एम.एल. नं. 10/2024, प्रस्तावित क्षेत्र 91.23 हैक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 250588.8 टन प्रति वर्ष, प्लॉट नं. 04, खसरा नं. 141, ग्राम— आलनियावास एवं खसरा नं. 56, ग्राम— लुंगिया तहसील—रियानबड़ी, जिला—नागौर, आलनियावास और लुंगिया, नदी (रेत) बजरी खनन परियोजना में स्थित है में नदी (रेत) बजरी खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), आलनियावास, तहसील— रियांबड़ी, जिला—नागौर में दिनांक 27/03/2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.02.2025 को समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'हुक्मनामा समाचार' में प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

प्रस्तुतिकरण हेतु जियो ग्रीन एनवायरो हाउस प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार जियो ग्रीन एनवायरो हाउस प्राइवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

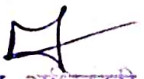
परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार जियो ग्रीन एनवायरो हाउस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना ग्राम- आलनियावास एवं ग्राम- लुंगिया तहसील-रियानबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में खनिज- नदी (रेत) बजरी खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका एम.एल. नं. 10/2024, कुल खनन क्षेत्रफल 91.23 हैक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता - 250588.8 टन प्रति वर्ष, प्लॉट नं. 04, खसरा नं. 141, ग्राम- आलनियावास एवं खसरा नं. 56, ग्राम- लुंगिया तहसील-रियानबड़ी, जिला-नागौर, आलनियावास और लुंगिया, नदी (रेत) बजरी खनन परियोजना में होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर) के बारे में बताया।

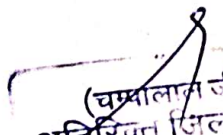
खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री ब्रह्मदेव शर्मा, निवासी आलनियावास ने कहा कि इस परियोजना से केवल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने जवाब दिया कि इस परियोजना के माध्यम से अधिकांश स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपस्थित ग्रामीणों से इस परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कहा।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, निवासी आलनियावास ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय से निवेदन करते हुए कहा कि खनन के संबंधित नियम केवल कागजों तक सीमित है, धरातल पर कार्य नहीं होते हैं एवं सम्बन्धित अधिकारी पर कोई जांच नहीं करते, पौधारोपण, सड़क मरम्मत, पानी का छिड़काव आदि कार्य। आलनियावास बस स्टैण्ड के पास से निकलने वाले बिना तिरपाल ढके डम्पर एवं अन्य चौपाहिया वाहनों से उड़ने वाली धूल से वहां के दुकानदार एवं ग्रामीण परेशान होते हैं। अतः पुनः निवेदन है कि नियमों का अनिवार्य रूप


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चण्डीलाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

से पालन एवं नियमित जांच होनी चाहिए। जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि वाहनों की ओवरलॉडिंग नहीं की जायेगी तथा गाड़ियों में तिरपाल ढक कर माल का परिवहन होगा, नियमित पानी का छिड़काव एवं सीएसआर के माध्यम अन्य सभी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जायेगा।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, निवासी आलनियावास ने कहा कि यहां कोई नहीं सुनता।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि इकाई द्वारा पर्यावरणीय नियमों की गैर-अनुपालना में कहां-कहां शिकायत की जा सकती है? जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा पर्यावरणीय नियमों की गैर-अनुपालना में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म. नागौर, खनिज विभाग, नागौर एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, जयपुर में शिकायत की जा सकती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आप सभी को शिकायत करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, अतः कोई भी शिकायत होने पर आप अपनी शिकायत उक्त में से कही भी दर्ज करवा सकते हैं।

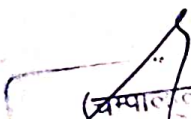
श्री ब्रह्मदेव शर्मा, निवासी आलनियावास ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय से निवेदन करते हुए कहा कि 2003 से डीएमएफटी (DMFT) फण्ड मंजूर किया जा रहा है परन्तु ग्राम आलनियावास में डीएमएफटी (DMFT) फण्ड कभी भी ग्राम पंचायत को नहीं मिला। जिसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि इसके सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय से बात करेंगे।

श्री जुगाराज बावरी, पूर्व सरपंच, ग्राम आलनियावास ने कहा कि हमारी सिर्फ 2 ही मुख्यों मांगें हैं कि डीएमएफटी (DMFT) फण्ड ग्राम पंचायत को मिले एवं इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त हमें कोई शिकायत नहीं है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को डीएमएफटी (DMFT) फण्ड को एवं स्थानीय रोजगार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के लिए कहा।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, निवासी आलनियावास ने कहा कि जिले के डीएमएफटी (DMFT) फण्ड के अध्यक्ष सांसद होते हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के ना होकर नागौर जिले के संसदीय क्षेत्र नागौर के सांसद हैं एवं वह केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही फण्ड का उपयोग करते हैं, जिस कारण हमारी ग्राम पंचायत डीएमएफटी (DMFT) फण्ड से वंचित रह रही है। जिसका निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

श्री ओमप्रकाश बिशु, खनन इकाई मालिक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यहीं होगी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दें एवं खनन कार्य पूर्णतः सरकारी नियमों के दायरों में किया जायेगा।

श्री प्रेमसिंह शेखावत, ग्राम आलनियावास ने कहा कि गांव की गौचर भूमि पर ग्रेनाइट माईन्स वालों ने कब्जा कर रखा है, एवं माईन्स का कचरा भी गौचर भूमि पर पड़ा रहता है, जिससे हमारे गावों के लिए चारा नष्ट हो रहा है। साथ ही श्री प्रेमसिंह शेखावत ने कहा कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खनन कौनसी एवं कितनी मशीनों के माध्यम से एवं कैसे किया जायेगा, कितनी गहराई तक तथा डम्पर कहां से लेण्ड होंगे?

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को विस्तृत जानकारी देने हेतु कहा।

पर्यावरणीय सलाहकार ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन कार्य खनन परियोजना के अनुसार ही किया जायेगा, जारी ब्लॉक से ही नियमानुसार खनन किया जायेगा, तथा माईन्स चारों तरफ से पिल्लर से बंद रहेगी, तथा पिल्लर के 7.5 मीटर अन्दर से खनन किया जाना प्रस्तावित है।

श्री प्रेमसिंह शेखावत, ग्राम आलनियावास ने कहा कि हमने तो आज तक नदी में कोई भी पिल्लर नहीं देखें हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से पूछते हुए कहा कि यह क्या पिल्लर स्थाई होंगे या अस्थायी होंगे होंगे? जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि पिल्लर पत्थरों से बनाये हुए स्थाई होंगे।

श्री प्रेमसिंह शेखावत, ग्राम आलनियावास ने कहा खनन इकाईयों द्वारा पौधारोपण नहीं किया जाता, सिर्फ आलनियावास गांव में ही बहुत पौधे कागजों में मिल जायेंगे, परन्तु धरातल पर 10 हजार भी नहीं मिलते।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि ये इस परियोजना का विषय नहीं है, यह खनन इकाई क्या करेगी, क्या नहीं? ये आने वाले समय में पता चलेगा, परन्तु आपको अगर पूर्व की इकाईयों द्वारा किया गया पौधारोपण की जानकारी चाहिए तो पर्यावरण विभाग एवं वन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री प्रेमसिंह शेखावत, ग्राम आलनियावास ने कहा कि वैध खनन चलना चाहिए एवं डीएमएफटी (DMFT) फण्ड ग्राम पंचायत के लिए उपयोग होना चाहिए।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(सम्पत्तिलाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

श्री जुगाराज बावरी, पूर्व सरपंच, ग्राम आलनियावास ने कहा कि वर्ष में कितने समय के लिए सीधा नदी से खनन एवं विक्रय होगा तथा कितने समय तक स्टॉक करके बाद में बेचा जायेगा? जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने अवगत करवाया कि साल के जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में पूर्व में स्टॉक रही बजरी का अन्य स्थान पर इकाई के स्टॉफ द्वारा ही बेचा जायेगा, एवं अन्य समय में सीधा नदी से बेचान किया जायेगा।

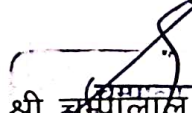
श्री टीकमचन्द निवासी आलनियावास ने कहा कि लिज धारक सार्वजनिक कार्यों में ग्रामीणों का सहयोग करें तथा अन्य सभी कार्यों में भी सहयोग प्रदान करें, जिससे ग्रामीण भी इनका सहयोग करेंगे।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, निवासी आलनियावास ने कहा कि क्या लिजधारक गांव के सार्वजनिक स्थल, मंदिर, स्कूल अन्य सामुदायिक कार्य, त्यौहार आदि में सहयोग करेंगे। जिसके प्रत्युत्तर में लिज होल्डर ओमप्रकाश बिशु ने कहा कि अवश्य रूप से आपके द्वारा अवगत करवाये जाने पर तथा सीएसआर फण्ड के तहत विभिन्न कार्य किये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा उपस्थित आप सभी ने बहुत अच्छे सुझाव प्रस्तुत किये एवं अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। हम आपके द्वारा प्रस्तुत सभी सुझाव/आक्षेप को राज्य स्तर पर नियमानुसार भिजवायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


श्री राजकुमारी मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर


श्री ह. पी. लाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

उपस्थिति पंजिका

आलनियावास और लुंगिया, नदी (रेत) बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित आलनियावास और लुंगिया, नदी (रेत) बजरी खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स महादेव कॉन्स्ट्रक्शन (प्रो. श्री ओम प्रकाश), एम.एल. नं. 10/2024, प्रस्तावित क्षेत्र 91.23 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 250588.8 टन प्रति वर्ष, प्लॉट नं. 04, खसरा नं. 141, ग्राम- आलनियावास एवं खसरा नं. 56, ग्राम- लुंगिया तहसील-रियानवडी, जिला-नागौर।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), आलनियावास, तहसील- रियांबडी, जिला-नागौर

दिनांक: 27.03.2025,

समय: दोपहर 12:00 बजे

[illegible]

P.T.O.

उपस्थिति पंजिका

आलनियावास और लुंगिया, नदी (रित) बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित आलनियावास और लुंगिया, नदी (रित) बजरी खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स महादेव कौन्ट्रेड्स (प्रो. श्री ओम प्रकाश), एम.एल. नं. 10/2024, प्रस्तावित क्षेत्र 91.23 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 250588.8 टन प्रति वर्ष, प्लॉट नं. 04, खसरा नं. 141, ग्राम- आलनियावास एवं खसरा नं. 56, ग्राम- लुंगिया तहसील-रियांबडी, जिला-नागौर।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), आलनियावास, तहसील- रियांबडी, जिला-नागौर

दिनांक: 27.03.2025,

समय: दोपहर 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
	सुरेश सैनी	आलनियावास	सुरेश
	मुकेश सैनी	आलनियावास	मुकेश
	सुमित शर्मा	विश्वरनिया कला	सुमित
	सुरील चौधरी	गाव सड़तक.	सुरील चौधरी
5	AKSHAY CHOUDHARY	JARAU KALLAN	(AKSHAY)
6	अमरेश शर्मा	आलनियावास	अमरेश
7	मेमाराज	भूमिका	मेमाराज
8	जितेन्द्र कुमार	आलनियावास	जितेन्द्र
9	जुगाज बाबरी	आलनियावास	जुगाज
10	दीपक चन्द	आलनियावास	दीपक
11	मीनाराम	सुरपुरा	मीनाराम
12	उमराव अर्ली	सूरजगढ़.	उमराव
	उमराव		उमराव
	ओमप्रकाश	आलनियावास	ओम
	कल्याणमतगुजरी	आलनियावास	कल्याण
	Sachin Chaudhary		सचिन
	अमित	निम्बोला विस्था	
	पुनश्चाम	आलनियावास	पुनश्चाम
	हीरानाथ	आलनियावास	हीरानाथ
	शरु	आलनियावास	शरु
	मोहनराम		

राजपुराक महरा

लुंगिया

रिया

③.

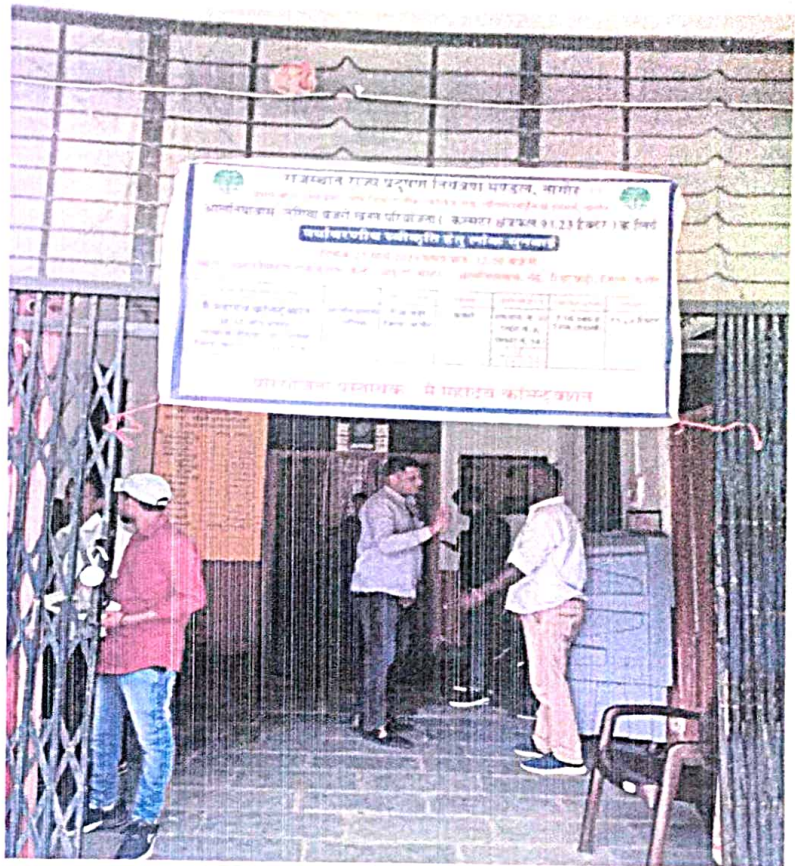
प्रस्तावित आलनियावास और लुंगिया, नदी (रित) बजरी खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स महादेव कॉन्स्ट्रक्शन (प्रो. श्री ओम प्रकाश), एम.एल. नं. 10/2024, प्रस्तावित क्षेत्र 91.23 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 250588.8 टन प्रति वर्ष, प्लॉट नं. 04, खसरा नं. 141, ग्राम- आलनियावास एवं खसरा नं. 56, ग्राम- लुंगिया तहसील-रियानबडी जिला-नागौर।

दिनांक: 27.03.2025,

समय: दोपहर 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
	ओम सिंह	रावत खेड़ा	
	पानिह	डामा निवास	
	श्रीधर शिवाजी	डा. ल. बाल	
	राम कलियान	सैफा	
	मदन गाराफ	सुरपुरा	
	महेन्द्र	सैफा	
	धारुनाम	जावड़ा	
	जोरु राम	डालनियावा	
	छाटे राम	छोटे राम	
	हेरि	जोड़डा	
	शेखर मेन्पा	जोड़डा	
	मिलेंड जगन्ना	चाडावा	
	हनुमान राम	डेडावा	
	कुन्दा	डामा निवास	
	हनुमान	डामा निवास	
	महेन्द्र	डालनियावा	
	Ramesh Chaudhary	डालनियावा	
	Yashraj Soni	PATO A D M, WARE	
	Dr. Vijay K Mishra	Warknow GEH	
	Sumendra Kumar	12 पोवाडा	
	सुखाराम गौरी	ADO के. स. मंडला	

**PUBLIC HEARING BY HONORABLE ADM- CHAMPA LAL JINGER
AND RO-RAJKUMER MEENA AT VILLAGE-ALANIYAWAS, TESHIL-
RIANBARI, DISTRICT- NAGOR (RAJASTHAN) FOR M/S MAHADEV
CONSTRUCTION, ON DATE: 27-03-2025.**



PUBLIC HEARING BY HONORABLE ADM- CHAMPA LAL JINGER AND RO-RAJKUMER MEENA AT VILLAGE-ALANIYAWAS, TESHIL- RIANBARI, DISTRICT- NAGOR (RAJASTHAN) FOR M/S MAHADEV CONSTRUCTION, ON DATE: 27-03-2025.



